(11)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/02/2015	13–04–2015	27–12–2019

01– लालसिंह पुत्र कुड़ियाराम जाति अहीर निवासी ग्राम जोडिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

–निगरानीकार

बनाम

01– ग्राम पंचायत जोडिया, पंचायत समिति कोटकासिम जिला अलवर जरिये सरपंच।
02– मायादेवी पत्नी बसंतकिशोर शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी केयर ऑफ
03– लालाराम पुत्र जयनारायण निवासी ग्राम जोडिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
04– गोरधन उर्फ पप्पू पुत्र लीलाराम जाति अहीर
05– लालाराम पुत्र जयनारायण स्वामी निवासी ग्राम जोडिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

–अनिगरानीकार

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 20.03.2015 ग्राम पंचायत जोडिया पंचायत समिति कोटकासिम जिला अलवर

उपस्थितः–
01– श्री सुमनदीप तिवाड़ी –वकील निगरानीकार
02– श्री कैलाश कुमार –वकील अनिगरानीकार सं0 1
03– कु0 सुषमा शर्मा –वकील अनिगरानीकार सं0 2 लगा0 4

–:निर्णयः–

निगरानीकार ने यह निगरानी ग्राम पंचायत जोडिया के आदेश दिनांक 20.03.2015 जिसके द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से विवादित प्लॉट पर निर्माण की मंजूरी प्रदान की है, से व्यथित होकर पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अनिगरानीकारो को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील निगरानीकार के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने प्रा0पत्र निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि माया देवी द्वारा एक प्रा0पत्र ग्राम पंचायत जोडिया के समक्ष विवादित आवासीय प्लॉट पैमाईशी दिशा उत्तर 20 फुट, सिरे दक्षिण 33 फुट, तरफ पश्चिम 11 फुट जिसके तरफ पूर्व में मकान प्रजापत व गोपाल कृष्ण शर्मा, तरफ पश्चिम आम रास्ता उसके पश्चात् मकान सरवन, तरफ दक्षिण में मकान लालसिंह पुत्र कुडियाराम के निर्माण मंजूरी प्रस्तुत किया गया था। जिसकी जानकारी होने पर मिन निगरानीकार ने कथन किया कि उक्त प्लॉट माया देवी का नहीं है। बल्कि निगरानीकार का है। परन्तु प्रार्थी की उज्रदारी पर कोई गौर नहीं किया गया और माया देवी को निर्माण कार्य हेतु मंजूरी प्रदान कर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

दी गयी। उक्त प्लॉट पूर्व में सुरेश कुमार का था। जरिये इकरारनामा उक्त प्लॉट गोपाल कृष्ण को विक्रय किया गया। तत्पश्चात् गोपाल कृष्ण ने जरिये इकरारनामा दि0 15.10.2014 को उक्त प्लॉट निगरानीकार को विक्रय कर दिया। जिस प्लॉट पर निगरानीकार काबिज रहकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। रामावतार पुत्र लीलाराम द्वारा ग्राम पंचायत जोडिया में पक्का मकान स्वीकृति हेतु आवेदन किया था, जिस पर ग्राम पंचायत जोडिया द्वारा दि0 23.07.2002 को स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसमें भी विवादित प्लॉट सुरेश शर्मा का दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत दि0 20.03.2007 को निर्णय में विवादित प्लॉट तरफ उत्तर जो गोपाल पुत्र चेतराम का दर्शित है। विवादित प्लॉट कभी भी मायादेवी का नहीं रहा है। उक्त प्लॉट से माया देवी का संबंध व सरोकार होता तो दि0 23.07.2002 व दि0 22.03.2007 को जो निर्माण स्वीकृतियां उपरोक्त व्यक्तिओं को दी गयी है, उसकी हदहुद में माया देवी का प्लॉट दर्ज होता। अनिगरानीकार लडाकू किस्म के व्यक्ति है। जिन्होनें नाजायज गिरोह बना रखा है। निर्णय दि0 20.03.2015 की आड़ में प्रार्थी के प्लॉट पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। अतः ग्राम पंचायत जोडिया का निर्णय दि0 20.03.2015 निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता अनिगरानीकार सं0 2 लगा0 4 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित प्लॉट पति व ससूर के नाम से है। ग्राम पंचायत द्वारा बाद जांच निर्माण की इजाजद दी गयी है। सुरेश कुमार से उक्त प्लॉट इकरारनामें से लिया गया है। निगरानीकार को किया गया इकरारनामा फर्जी है। ग्राम पंचायत के निर्णय की सीधी निगरानी माननीय न्यायालय में नहीं होती है पहले पंचायत समिति में अपील की जाती है। अतः निगरानीकार की निगरानी खारिज फरमायी जावें। बहस के समर्थन में 1991 (एआईआर) आरएजे पेज 148 नजिर पेश की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित प्लॉट सुरेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश द्वारा गोपाल कृष्ण पुत्र चेतराम शर्मा को जरिये इकरारनामा दि0 10.05.2005 को विक्रय किया गया। गोपाल कृष्ण पुत्र चेतराम शर्मा द्वारा उक्त प्लॉट जरिये इकरारनामा दि0 15.10.2014 को निगरानीकार लालसिंह पुत्र कुडियाराम अहीर ग्राम जोडिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर को विक्रय किया गया है। अतः उक्त विवादित प्लॉट पर माया देवी पत्नी बसंतकिशोर शर्मा को मकान बनाने की मंजूरी ग्राम पंचायत जोडिया द्वारा दिया जाना उचित नहीं है। निगरानीकार की निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी निगरानीकार स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत जोडिया द्वारा किया गया निर्णय दि0 20.03.2015 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)